राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.13(23) वित्त/राजस्व /77 पार्ट–II   जयपुर दिनांक:– 20 APR 2012

समस्त विभागाध्यक्ष।

–: परिपत्र :–

विषयः–राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत नई बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर सेवाकर की संशोधित दर पर कटौती किये जाने के संबंध में।

भारत सरकार के वित्त अधिनियम 2004 के द्वारा दिनांक 10.09.2004 से बीमा प्रीमियम पर सेवाकर अधिरोपित किया गया था जिसके अनुसार वर्तमान में सकल बीमा प्रीमियम पर 1.5 प्रतिशत की दर से सेवाकर तथा सेवाकर की राशि पर 3 प्रतिशत की दर से शिक्षा/उच्च शिक्षा अधिभार की कटौती कर्मचारियों के वेतन बिलों से की जा रही हैं।

भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 3/2012–सर्विस टैक्स दिनांक 17.03.2012 के द्वारा दिनांक 01.04.2012 से जारी की गई नई बीमा पॉलिसियों के अन्तर्गत प्रथम वर्ष में भुगतान किये जाने वाले प्रीमियम पर सेवाकर की दर में वृद्धि करते हुए उसे 1.5 प्रतिशत से 3 प्रतिशत कर दिया गया हैं। इस सेवाकर पर 3 प्रतिशत शिक्षा/उच्च शिक्षा अधिभार भी पूर्व की भांति लागू हैं। सेवाकर में उपरोक्त वृद्धि वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत जारी बीमा पॉलिसियों पर एक वर्ष के लिए ही लागू होगी।

अतः उक्त परिपेक्ष्य में सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 17.03.2012 के अनुसार उनके अधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 2012 से नई बीमा पॉलिसियों पर, बीमा प्रीमियम का 3 प्रतिशत सेवाकर तथा सेवाकर की राशि का 3 प्रतिशत शिक्षा अधीभार की दर से सेवाकर की कटौती किया जाना सुनिश्चित करें। दिनांक 01.04.2012 से पूर्व जारी पॉलिसियों के अन्तर्गत पूर्व की भांति 1.5 प्रतिशत की दर से ही सेवाकर तथा उस पर 3 प्रतिशत की दर से शिक्षा/उच्च शिक्षा अधीभार की दर से निमियत सेवाकर की कटौतियां की जावेगी।

दिनांक 01.04.2012 से प्रथम कटौती किये जाने वाले बीमेदारों द्वारा मार्च 2012 के वेतन बिल के साथ पूर्ववत बीमा कटौती हेतु शिड्यूल "बी" (जीए–79) भरा जावेगा। उन बीमेदारों की बीमा कटौती वर्ष पर्यन्त (वर्ष 2012–13), जीए–79 में ही की जावे तथा बीमा प्रीमियम पर 3 प्रतिशत सेवाकर एवं सेवाकर का 3 प्रतिशत शिक्षा/उच्च शिक्षा अधिभार की कटौती दर्शायी जावे। वर्ष 2012–13 तक इस बीमा प्रीमियम का इन्द्राज पृथक से रखा जावे।

माह मार्च 2012 का वेतन भुगतान हो गया हो तो अप्रैल माह के वेतन से मार्च माह की प्रीमियम पर सेवाकर की अन्तर राशि की भी कटौती की जावें।

आज्ञा से,

विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त(व्यय)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, वित्त विभाग।
2. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त(व्यय)विभाग।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके पृष्ठांकित पत्रांक एफ.4–टैक्स/बीमा/व्यय एवं प/2007–08/2–102 दिनांक 02.04.2012 के क्रम में।
4. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी

कार्यालय निदेशक, राज्य. बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान– जयपुर

क्रमांक/एफ–4/सेवाकर/बीमा/व्य.एवम् प/2012–13/239 to 438   दिनांक:– 14/5/2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

(1) समस्त विभागाध्यक्ष, ———————

(02) निजी सहायक निदेशक महोदय, रा.बी. एवम् प्राव.निधि विभाग राज. जयपुर।
(03) संयुक्त निदेशक, सम्भागीय कार्यालय रा.बी. एवम् प्राव.नि. विभाग ———————
(04) उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवम् प्रा.नि. विभाग जिला कार्यालय ——————— को भेजकर लेख है कि अपने अधीनस्थ आहरण एवं वितरण अधिकारियों को भी सूचित करावें।
(05) रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (बीमा) मुख्यालय जयपुर

कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 26(परिपत्र)स्था/निकाशि/2012/72 दिनांकः 11 जून, 2012

प्रतिलिपिः डा0 धीरेन्द्र देवर्षि, बेवसाईट प्रभारी, निदेशालय। कृपया उक्त पत्र में अंकित सूचना को निदेशालय की बेवसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर